# <u>प्रेस नोट</u>

## दीव जिला के पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद क्षेत्र के ड्राफ्ट मतदाता सूची को तैयार करने और मतदाता सूची के अंतिम रूप देने का कार्य शुरू

**दीव दिनांक :- 01/06/2020,**

दीव जिला के आमजनता को सूचित किया जाता है कि संघ प्रदेश के चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली के आदेशानसुार दीव जिला के पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद क्षेत्र के मतदाता सूची में संशोधन का काम दिनांक 01/06/2020 से शुरू किया गया है । इस दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या नाम निकलवाने या किसी भी प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया की जाएगी । पंचायतों एवं नगरपालिका परिषद क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची लोकसभा के लिए प्रकाशित दिनांक 01/01/2020 की मतदाता सूची को संदर्भ मे लिया जाएगा अर्थात इसे ही आधार माना गया है । दीव के नागरिक मतदाता सूची में संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिए नीचे दी गई अवधि के दौरान चुनाव प्रकोष्ठ, दीव या मामलतदार / एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं । ड्राफ्ट मतदाता सूची को तैयार करने तथा मतदाता सूची के अंतिम रूप का प्रकाशन आदि का कार्य डेढ. महीने तक चलेगा । ड्राफ्ट मतदाता सूची तथा मतदाता सूची के अंतिम रूप निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से निर्धारित अवधि में किया जाएगा :-

| क्रम सं0. | संशोधन का चरण | विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित अवधि |
|---|---|---|
| 01 | ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करना | 01/06/2020 से 10/06/2020<br>( सोमवार से बुधवार तक) |
| 02 | ड्राफ्ट मतदाता सूची का मुद्रण | 11/06/2020 से 13/06/2020<br>( गुरूवार से शनिवार तक) |
| 03 | ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन | 15/06/2020<br>( सोमवार ) |
| 04 | सुझाव और आपत्ति दर्ज कराना | 16/06/2020 से 30/06/2020<br>( मंगलवार से मंगलवार तक) |
| 05 | सुझाव और आपत्तियों का निपटान | 01/07/2020 से 10/07/2020<br>( बुधवार से शुक्रवार तक) |
| 06 | मतदाता सूची को तैयार करना और इसका प्रकाशन | 11/07/2020 से 14/07/2020<br>( शनिवार से मंगलवार तक) |
| 07 | मतदाता सूची के अंतिम रूप का प्रकाशन | 15/07/2020 से 30/06/2020<br>( बुधवार ) |